राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CentralState Farm, Suratgarh
District- Sriganganagar
PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

क्रमांकः–सीएसएफ/एसओजी/सु/04/2020 दिनांक 25–06–2020

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0) में फार्म की सुरक्षा हेतु गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका देने की अवधि दिनांक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक निविदाएं दिनांक 16.07.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। नियम व शर्तो का विवरण तथा निविदा प्रपत्र 1.7.2020 से 15.07.2020 तक रू0 100/– +180(GST)देकर फार्म कार्यलय से प्राप्त किया जा सकता है, तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की बेवसाईड www.indiaseeds.com से भी प्राप्त किये जा सकते है। परंतु डाउनलोड किए गए प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू0 118/– व प्रत्येक **ठेके** लिए वर्णित निश्चित धरोहर राशि रूपयें 50.000/– तथा बाग के लिए निश्चित धरोहर राशि 20.000 रूपयें का बैक ड्राफट National Seeds Corporation Ltd. Payable at Suratgarh निविदा के साथ जमा करवाने होंगें।

सुरक्षा अधिकारी
कृते निदेशक

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़</u>

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2020– दिनाँक .... निविदा भेजने हेतु पताः– निदेशक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निविदा खोलने की दिनाँक :– 16.07.2020 स्थान :– केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

वर्ष की अवधि निविदा दिनाँक 01 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :– ....
2. पिता /पति का नाम :– ....
3. पूरा पता :– ....
   ....
   ....
4. दूरभाष / मो0 न0 :– ....
5. पैन न0 :– .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि) ....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रू0 118/– रसीद संख्या .... दिनाँक .... अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनाँक ....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेन्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनाँक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र. सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	खण्ड–1 यूनिट ए	38एसटीजी, 35एसटीजी ,37एसटीजी, बीआरपी–1, बीआरपी–3	रू.50,000(रू0 पचास हजार मात्र)
2	खण्ड–1 यूनिट बी	39एसटीजी, 40एसटीजी, 41एसटीजी, 42एसटीजी, 44एसटीजी	
3	खण्ड–2	आरपीएम–1, आरपीएम–2 आरपीएम–3, आरपीएम–4, 33पीबीएन, 31ए पीबीएन, 31बी पीबीएन,	
4	खण्ड–3	34 पीबीएन, 3 एसजीएम, 4 एसजीएम, 5 एसजीएम,	
5	बाग	EPO (बाग गेट सहित)	रू0 20,000(बीस हजार रूपये मात्र)

धरोहर राशि का विवरणः–

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरणः–

ठेका	बैंक ड्राफ्ट न0 व दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एंव शाखा का पता	धरोहर राशि रूपये में(अंको व शब्दों में)
1			रू0 50,000(रू0 पाचस हजार मात्र)
2			
3			
4			
5			रू0 20,000(बीस हजार रूपये मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

....

....

मो0 न0 .....

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ।
दिनाँक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक ठेके पर देने बाबत (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

पाटी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र कृषि फार्म का	आयकर वेलेड पैन कार्ड	पार्टी का पंजीकरण	MSME पंजीकरण	सर्विस टेक्स संख्या	लेबर लाईसेंस	सिक्यूरेटी लाईसेंस (DGP	चरित्र प्रमाण पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पर	EPF पंजीकरण	ESi पंजीकरण	दो पास पोर्ट साईज की फोटो

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम...

पता...

मो0 न0 ....

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु।
दिनाँक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

इकाई	01.08.2020 से 31.07.2021 तक (एक वर्ष हेतु)
खण्ड न0 1 यूनिट ए	
खण्ड न0 1 यूनिट बी	
खण्ड न0–2	
खण्ड न0–3	
EPO(बाग)	

.

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम...

पता...

मो0 न0 ....

फार्म संपदा खड़ी फसल संग्रहित फसल एंव अन्य फार्म संसाधनों को पशु/पशुधन व अन्य बचाने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत ठेका।

1 फार्म संपदा, खड़ी फसल, सग्रहित फसल, पेड़, चल अचल संपत्ति एंव अन्य संसाधनों को पशु /पशुधन एंव अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहॉ है, जैसे के आधार पर" चौबीस धण्टे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक होगी।

2 निविदाता निविदा के नियम एंव शर्तो की प्रति निविदा शुल्क रू.118/– का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी कार्य दिवस के दिन दिनांक 01.07.2020 से 15.07.2020 तक प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म निगम की बेवसाईट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त कर सकते। बेवसाईट से डाऊनलोड किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रू.118/– Non refundable की डी.डी. जो National seeds corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।

3 निविदाता भरी हुई निविदा दिनांक 16.07.2020 को समय 1.00 बजे तक जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक 16.07.2020 एंव समय 1.00 बजें तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड उसी दिन 3.00 बजे खोली जायेगी। तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदाताओं की वित्तिय बीड सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोला जायेगा।

4 निविदाता पार्टियों के पास कृषि फार्म से संबंधित सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वयात संस्था में कृषि फार्म का संतोषजनक मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव या गैर सरकारी कृषि फार्म में कम से कम पॉच सौ एकड़ क्षैत्र में संतोषजनक सुरक्षागार्ड को उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधि जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। साथ संबंधित संस्था से कार्य आदेश की प्रति व कृषि फार्म का क्षैत्रफल संलग्न करें।

5 पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या(यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाईसैंस पूर्व में कराये गये कार्य हेतु(यदि कोई हो तो) एंव PSA License की प्रति एंव दो पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है। साथ ही पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रूपयें के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि किसी पार्टी के लेबर विभाग में फर्म के पंजीकरण कराये जाने/कराने की प्रति एंव PSA License नही है, तो उन्हे इस बाबत Undertaking देनी होगी कि वे Labour License/PSA License की प्रति ऑफर जारी होने के 03 माह के अन्दर जमा करा देंगें, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबंधन पार्टी द्वारा जमा कराई गई अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त करने सांथ–साथ उनका ठेका रद्द कर सकता है।

6 निविदा के नियम व शर्तो की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम व शर्तो के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व–सत्यापित है। इस टेंडर प्रक्रिया में MSME पंजीकृत फार्मो को प्राथमिकता दी जाएगी।

7 निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि 50000/–(रूपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड व बाग की धरोहर राशि 20000/–(बीस हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि National seeds corporation Ltd. Suratgarh, Payable at Suratgarh तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8 एक पार्टी को केवल एक ही खण्ड का ठेका दिया जाएगा। संविदा फार्म पर खण्ड बार की जावेगी।

9 सफल निविदाता को प्रत्येक खण्ड के सुरक्षा ठेके के लिए रू. 250000–(दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड व बाग की 50000/– (धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि मिलाकर) टेंडर होने के एक साप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा। सफल निविदाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।

10 धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अन्दर उनके लिखित अनुरोध पर उत्तरोतर वापस की जायेगी।

11 ठेकेदार एंव उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगें, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुॅचायेंगे और नही पहुॅचाने देंगें।

12 ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पादन जैसे पेड़ पौधे, लकड़ी दवा रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नही ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदढ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।

13 यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षैत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबधित करेगा फिर भी यदि आंवटित क्षैत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

14 ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एंव अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।

15 ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पाईन्टों/संवेदनशील पाईन्टो इत्यादि जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि जहॉ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहा दुसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पाईन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चत करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा

गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगें तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

16 फार्म प्रशासन द्वारा बताये गये विभिन्न चकों/पाईन्टों/संवेदनशील पाइन्टों इत्यादि जिनकी जानकार सारणीबद्र प्रपत्र रूप(Tabular FOrm) मे निविदा मे शामिल करी जाऐगी। निविदा दाता द्वारा प्रत्येक चकों/पाईन्टों/संवेदनशील पाइन्टों इत्यादि पर सूरक्षा गार्ड चोबीस घण्टे तैनात करने होगें, चोरी डकैती व अन्य अपराधिक धटना ड्यूटी स्थल की सीमा में होने पर पुलिस को तुरन्त बुलाना व FIR दर्ज कराने जैसी आवश्यक कार्यवाही भी करनी होंगी। जो निविदा दाता यह शर्त सूनिश्चित नही करेगा उस पार्टी को अयोग्य माना जायेगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे की जहां भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात है वहॉ दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पाईन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरूद् नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

17 ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नही होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/ कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगडा इत्यादि नही करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपार्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे। सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नही दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

18 कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वंय भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईकाई मे उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके के किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नही देगा अर्थात Sub-letting नही करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवेहलना की स्थिति में फार्म प्रबंधन उनका ठेका रद्द करने के साथ–साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगडा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वंय पुलिस थाने में करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वंय ठेकेदार को करना होगा। तथा इस संबंध मे ं फार्म कोई भी खर्च वहन नही करेगा। एफ.आई.आर. की छाया प्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।

20 सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नही करवायेगा।ठेकेदार को इन सभी संसाधनो की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वंय करना होगा।

21 ठेकेदार से प्राप्त सवय्ंवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने मे चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चत करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ, ई.एस.आई. व सेवा कर इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तगर्त देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैड गार्ड के संतोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लागू GST जो भी नियमानुसार बनेगा वह बिल से काटा जायेगा।

22 ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 सहित सभी श्रम कानूनो का पालन करना होगा। स्वंय उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध मे फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी।

23 ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू.100/– (रूपयें सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तो को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद मे आने वाला खर्च ठेकेदार का वहन करना होगा।

24 ठेकेदार फार्म ने सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25 ठेकेदार जो सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपार्ट सुरक्षा अधिकारी का देगा।

26 यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एंव शर्तो की अनुपालना नही की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आंवटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ–साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म सम्पदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

27 ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद/ अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढा सकता है। जिसकी नियम व शर्ते पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।

28 ठेकेदार यह सुनिश्चत करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।

29 ठेकेदार को संबंधित चक की चल–अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ो एंव अन्य फार्म सम्पत्ति "जो जहॉ हो" के अनुसार रात्रि व दिन मे उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घण्टे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सुरक्षा कार्य मे दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा।

30 ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को सिटी, लाठी, टॉर्च एंव जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनो एंव सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा । ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों की पहचान पत्र देगा जो कि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।

31 ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित/अपराधि सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नही लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसने अहित किया हो उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।

32 फार्म सम्पदा, फसल एंव इसकी चल–अचल सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति मे उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

33 ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए । ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।

34 ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/ साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय मे देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नही होगा। यदि ठेकेदार उन्हे न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने मे असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल /उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जायेगी।

35 ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अतंगर्त मजदूरी का भुगतान व जिसका रिकॉर्ड रखना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगा।

36 किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हडताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षैत्र के अंतगर्त आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

37 यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच मे छोडता है या इस करार के किसी नियम अथावा शर्तो का उल्लधंन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

38 इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनो पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगें। यद्यपि विवाद नही सुलझने की स्थिति मे इस करार से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर इसके उल्लधंन से संबंधित इस प्रकार के झगड़ो, विवादों, मतभेदों या दावों को समय–समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के प्रवधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जाएगा। मध्यास्थम् का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ़ क्षैत्र ही मान्य होगा।

39 किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक(फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते है।

40 यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी नियम व शर्तो का उल्लधंन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा अदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है

तो सुरक्षा अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेगा एंव जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

41 यदि फार्म मे कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेठी गठित की जायेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आंकलन मे शामिल होगा। यदि समय पर नही आता है तो कमेटी का निर्णय मानना होगा।

42 फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उतरदायित्व ठेकेदार होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नही करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान मे से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।

43 ठेकेदार निगम के विरूद्ध किसी भी भ्रष्टाचार मे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नही होगा। यदि ठेकेदार निगम विरूद्ध किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों मे संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।

44 सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों मे बने हुये फाटक मे आवारा पशु नही लायेंगें तथा आवारा पशुओं को सूरतगढ़ की गोशाला में भेजेगें। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु नीलगाय, भेड़ बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहॅुचनी चाहिए। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाईट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारो की नियुक्ति करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति मे सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल मे से उचित कटौती की जायेगी।

45 सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नही कराया जायेगा। ठेकेदार का इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वंय करनी होगी।

46 सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड मे अगर कोई चक आउट–सोसिंग के लिये दिया जाता है तो उस चक की सुरक्षा आउट–सोसिंग वाले ही करेंगें और उस चक की सुरक्षा खर्च के रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नही दिया जायेंगें।

47 यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहॅुचायेगें और नही उसका उपयोग करेगें। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कडी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम काली सूची मे डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

48 यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नही करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढ़ग से नही करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची मे डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

धोषणाः–

मैने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्ते पढ ली है। उक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशहवास मे किये है। मेरे द्वारा सभी शर्ते स्वीकार की गई है तथा यह शर्ते केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

सुरक्षा अधिकारी

खण्ड न0–1 युनिट ए

क्र.	चक नम्बर	सुरक्षा पॉइंट	सुरक्षा कर्मियॉ की संख्या
1	38एसटीजी	रामपुरा गॉव के सामने	3
2	35एसटीजी	35 गॉव के सामने	3
3	35एसटीजी	35एसटीजी की बाऊन्ड्री(हनुमानगढ़ रोड)के साथ	3
4	35एसटीजी	एसटीजी नहर जमीदारो की तरफ	3
5	बीआरपी–1	लास्ट बाऊन्ड्री जमीदारो की तरफ	3
6	बीआरपी–1	शमशान घाट की पास(बन्धे पर तार फैसिंग के साथ)	3
7	बीआरपी–3	सरामसर गेट (बन्धे) पर	3
8	बीआरपी–3	बीआरपी–3 के हैड (सरामसर गेट) पर	3
9	बीआरपी–3	प्रेमराज बाबरी की ढाणी की तरफ	3
10	37एसटीजी	बारेका नई आवादी की तरफ	3

30

खण्ड़ न–1 यूनिट बी

क्र.	चक नम्बर	सुरक्षा पॉइंट	सुरक्षा कर्मियॉ की संख्या
1	44एसटीजी	वन विभाग के आफिस के पिछे रेल्वे लाईन के साथ	3
2	44एसटीजी	बारेका रोड आरसीपी नहर की पुलिया पर	3
3	42एसटीजी	42एसटीजी नहर की पुलिया पर	3
4	40एसटीजी	हनुमानगढ रोड व स्टोर रोड के कोने पर्	3
5	41एसटीजी	बारेकां गॉव की तरफ	3
6	39एसटीजी	बारेका नई आबादी की तरफ	3

18

खण्ड न. –2

क्र.	चक न0	पॉइंट	सुरक्षा कमियॉ की संख्या
1	आर.पी.एम.–4	घग्धर पुल पर	3
2	आर.पी.एम–4	ऐयर फोर्स रोड 76 के बन्धे पर	3
3	33पी.बी.एन.	पानी की टंकी के पास	3
4	33पी.बी.एन	पी.बी.एन.नहर 72 की रोड़ पर	3
5	आर.पी.एम–1	भूतो की थेडी की तरफ	3
6	आर पी एम–1	देवी लाल नहर की पुलिया(रामपुरा साईड	3
7	आर.पी.आम–2	60 की रोड रेल्वे लाईन की तरफ	3

21

बाग

क्र.सं.	सुरक्षा पॉइंट	सुरक्षा कर्मियां की संख्या
1	बाग के गेट	3
2	64 की रोड व गंगानगर रोड तथा नहर की तरफ(बाग के तीनो तरफ)	3

6

खण्ड नम्बर–3			
क्र	चक नम्बर	सुरक्षा पॉइंट	सुरक्षा कर्मियां की संख्या
1	3एसजीएम	गंगानगर रोड़ सरदारगढ के मोड पर	3
2	3एसजीएम	भगवानसर गेट	3
3	4एसजीएम	छावनी की तरफ	3
4	5एसजीएम	नहर की तरफ	3
5	5एसजीएम	सरदारगढ रोड़	3
6	5एसजीएम	पीर बाबा की तरफ	3
7	34पीबीएन	मोजगढ(52की रोड़)	3
8	34पीबीएन	गंगानगर रोड़ 72 की रोड पर	3
9	34पीबीएन	पीबीएन नहर 72 की रोड पर	3